

पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी

अवकाश के लिए

/ अतः पत्रावली

दिनांक 19.12.14 को पेश हो।

2
घाजा है

19/12/14 पत्रावली प्रस्तुत। वकील उमयपक्षा उपस्थित
पत्रावली वास्ते कावनी तनकीयात व गर्थनाफा
वास्ते पत्थरगरी दिनांक 13.2.15 को पेश हो।

13/1/15 पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी

अवकाश के लिए

/ अतः पत्रावली

दिनांक 13/1/15 को पेश हो।

घाजा है

15/1/15

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी

अवकाश के लिए

राजकीय कार्य वंश अमण पर है।

फगोकेन उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार

पत्रावली दिनांक 10/1/15 को

पेश हो।

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/पीठासीन

अधिकारी अनशुनकी में होने से

प्रकरण दि. 15/1/15 को पेश हो।

पत्रावली आज राजस्व एंडे डेहालत/उमय होत
अधीनान मु. होडा पर वेच डुमि वाहीगल एवं
पुलिवाहीगल अनुपस्थित रहने से प्रकरण
उमय होत में सिधा जाडा घजावली का अवकाश
सिधा गया। वाह्य एत अमी तलमान में वाहीगल
डे पिता डे नाम पर हर्त है। वाहीगल डे
पिता एत हो फुडे है। अला वाह्य एत अमी
सिधात डे वाहीगल हो खालेदा कुतका
सोपित सिधा जाडा अमी डे वेतका डे
अधेय एत डे रावे। हमने पत्रावली डे
अवकाश सिधा गया। वाह्य एत अमी तलमान

डिक्री व मुकद्दमें इब्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोबुद्धा जिला उदयपुर

न्यायाधीश अधिकारी श्री सत्यनारायण झाचार्य (R.A.S.) कोटड़ा
 मुकद्दमा नं. 38/12 सन् सीगह
 बनाम कुशा पितृ नेता जमात
 वगैरह
 नि. जखपीपला

दावा बाबत 88,53,188,92 A RTA 4.

यह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री सत्यनारायण झाचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
 वादी की ओर से वकील श्री प्रतिवादी की ओर से वकील
 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

पत्वाकडा बड़ली तहसील कोटड़ा की जाबबली खेत के खाता
 संख्या 76 में घोषित करावी नम्बर 164, 165, 166, 167, 169
 किंवा 5 कुल संख्या 19-08 कीया खेती के 1/2 हिस्से का
 वादी संख्या 1 व 2 रेशा करमा पितृ नीझा डय 1/2 हिस्से
 का वादी संख्या 3 भूमक पितृ अनिया के खातेदार कुइतकार
 घोषित किया जाता है। डय कुकि का हिस्से कुमत खातेदार के
 बीच बर मिशन डय बाउण्ड, के माध्यम पर विभाजन किये
 जाने के तहसीलदार कोटड़ा के कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे रुपये की राशि आज की तारीख
 से वसूली की तारीख तक उस पर प्रतिशत की दर से ब्याज सहित
 द्वारा को दी जाये।
 यह आज तारीख 11 मार 07 सन् 2015 को
 ने से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

सदस्य
लोक अदालत, कोटड़ा

(सत्यनारायण झाचार्य)
 हस्ताक्षर न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
 कोटड़ा (जिला उदयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		
			योग		